375

सं०सं०–03 / परी०–B.T.S.C–(अधि०)01–19 / 2024 2724 पटना, दिनांक 21/08/2025

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–20 / 2025 के अन्तर्गत दन्त चिकित्सक के पदों हेतु

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत दन्त चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०–20 / 2025 की कंडिका–06(iii) में अंकित है कि दन्त चिकित्सा अधिनियम 1948 की धारा–34 के आलोक में स्थायी रूप से निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा।

उक्त क्रम में निबंधन प्रमाण पत्र के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1433(2) दिनांक–18.08.2025 के माध्यम से निम्नांकित परामर्श उपलब्ध कराया गया है:–

(i) अभ्यर्थियों को डेन्टल कॉन्सिल ऑफ इंडिया अथवा किसी राज्य के डेन्टल कॉन्सिल से निबंधन प्राप्त होना चाहिए।

(ii) जिन अभ्यर्थियों के निबंधन की वैधता आवेदन करने की तिथि को समाप्त (Expire) हो चुका है तथा निबंधन का नवीकरण (Renewal) नहीं कराया गया है, वैसे अभ्यर्थियों के निबंधन को इस शर्त के साथ मान्य किया जा सकता है कि आयोग द्वारा किये जाने वाले दस्तावेज सत्यापन की तिथि तक वे अपने रजिस्ट्रेशन का नवीकरण (Renewal) निश्चित रूप से करा लेंगें।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में सूचित करना है कि "दस्तावेज सत्यापन के समय नवीकरण (Renewal) निबंधन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेगें। भविष्य में अभ्यर्थी के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगें।

अपर सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।